

२५/११/२५

पशावली पेन्सी में ली गई। तदनुसार इनुमानगढ़
के पंजाक LRI 24/2058 दिनांक 6/6/24 का
अपगत कलाया गया है कि इतगत वाद पत्र
में वादी व प्रति सं. 1, 2 का पत्र अलग हो
चुका है इसलिए विभाजन प्रस्ताव का अंकित
नहीं इसलिए वाद पत्र में वांछित अनुलोष
अनुरूप वर्तमान जसांबंदी में अंकन होने के
काल वाद पत्र Default में खारिज कर
पशावली का पत्र रफ्तार की जाती है

सिद्धिक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इनुमानगढ़

